



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 फरवरी 2025

"विनियम एक नज़र में" संबंधी पुस्तिका का विमोचन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक निर्देशों की समीक्षा करने तथा उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन में आसानी के लिए [2021 में विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 \(आरआरए 2.0\) का गठन](#) किया था। विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर, आरआरए 2.0 ने 10 जून 2022 को अपनी [रिपोर्ट](#) को अंतिम रूप दिया। आरआरए 2.0 रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी:

"विनियामकीय विभागों द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के एक समूह या किसी विशेष विषय पर लागू विनियमों वाली विनियामक पुस्तिका(ओं) के निर्माण पर विचार किया जा सकता है। यह विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगा।"

2. तदनुसार, विनियमन विभाग (डीओआर) ने अपने विनियामक निर्देशों को ["विनियम एक नज़र में"](#) शीर्षक से आसानी से सुलभ पुस्तिका में संकलित किया है, ताकि गतिविधियों और संस्थाओं के कई आयामों में विनियामक परिदृश्य का व्यापक अवलोकन प्रदान किया जा सके। यह पुस्तिका डीओआर द्वारा जारी सभी प्रमुख विनियमों का सारणीबद्ध सारांश प्रदान करती है तथा इसे छह अध्यायों में बांटा गया है।

3. इस पुस्तिका का उद्देश्य मुख्यतः संदर्भ में आसानी तथा सामान्य समझ के लिए विनियमों का उच्च-स्तरीय अवलोकन उपलब्ध कराना है। संबंधित विनियमों के विशिष्ट विवरण के लिए पाठकों को समय-समय पर परिपत्रों/मास्टर परिपत्रों/मास्टर निर्देशों के माध्यम से जारी संबंधित विनियमों का संदर्भ लेने का सुझाव दिया जाता है।

4. पुस्तिका को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2264

(पुनीत पंचोली)

मुख्य महाप्रबंधक